बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

सं0–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–122/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोह, औरंगाबाद द्वारा वर्ष 2022–24 की अवधि में ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–159**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–75(15), दिनांक–15.01.2024, पत्रांक–688(15) दिनांक–12.04.2024 एवं पत्रांक–1971(15) दिनांक–02.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार का कार्यालय, अंचल अधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1415 दिनांक–12.09.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–117(15) दिनांक–11.02.2025, पत्रांक–936(15) दिनांक–09.06.2025, पत्रांक–1736(15) दिनांक–15.09.2025, पत्रांक–1978(15) दिनांक–27.11.2025, पत्रांक–619(15) दिनांक–29.04.2026 एवं पत्रांक–1551(15) दिनांक–23.09.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु छः बार स्मारित करने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन/स्ष्टीकरण विभाग को अप्राप्त रहा। इनका यह कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा है।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) अप्राप्त रहने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, औरंगाबाद/अपर समाहर्त्ता औरंगाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोह, औरंगाबाद, सम्प्रति अंचल अधिकारी, कांटी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक—15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07—122/2023—.....(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—.....

स्पीड—पोस्ट
ई—मेल

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, औरंगाबाद एवं मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/श्री मुकेश कुमार, अंचल अधिकारी, कांटी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक—15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07—122/2023—.....(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—.....

स्पीड—पोस्ट

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित ।

ह०/—
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक—15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07—122/2023—2024.....(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—29/10/2026

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/10/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।